कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर।

पत्रांक :– 1291 /14–1 (FP/UP/ Road/121197/2021)मुजफ्फरनगर, दिनांक, 18–10–2022

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सहारनपुर वृत्त सहारनपुर।

विषयः– चौधरी चरण सिंह, कावड सडक मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दायीं पटरी कि0मी0 चैनेज 51.90 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 222.98 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष,मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एव 25000 पौधे अर्थात् कुल 112722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ की दिनांक–15.09.2022 को आहूत क्षेत्रीय सश्क्त समिति की 70वी बैठक का कार्यवृत्त –पत्रांक–II/1092/REC/2014-उ0प्र0 (पार्ट–2)/521 दिनांक–21.09.2022, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यू0पी0 /06 /221/2021/एफ.सी./536 दिनांक–26.09.2022, अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, मेरठ का पत्रांक–337/1सी0 दिनांक–03.10.2022, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर का पत्रांक–1266/ 13–1 दिनांक–11.10.2022 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र का पत्रांक–583/33 दिनांक–07.10.2022 ।

महोदय,

चौधरी चरण सिंह, कावड सडक मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दायीं पटरी कि0मी0 चैनेज 51.910 से 163.40 तक, जनपद मुजफ्फरनगर (सा0वा0 प्रभाग मुजफ्फरनगर) में 113.68 हे0 संरक्षित वन भूमि, जनपद–मेरठ (सा0वा0प्रभाग,मेरठ) में 84.6 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात कुल– 222.98 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौध, गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25,000 पौधे अर्थात कुल 1,12,722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में भारत सरकार. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ कें संदर्भित पत्र दिनांक–26.09.2022 द्वारा कतिपय अभिलेखों/सूचनाओं की वांछना की गयी, इस कम में प्रयोक्ता अभिकरण/लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, मेरठ के पत्रांक 337/1–सी0 दिनांक–3.10.2022, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर के पत्रांक 1266/13–1 दिनांक–11.10.2022, एवं प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र के पत्राक 583/33 दिनांक 07.10.2022 द्वारा प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर को क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित निम्नानुसार अभिलेख/सूचना उपलब्ध करायी गयी हैः–

S.No.	Observation raised by MoEFF&CC	Compliances
1	2	3
1	In lieu of 222.98 ha forest land proposed to be diverted 223.00 ha. non-forest land has been provided out of this, only 41.36 ha NFL is suitable for compensatory afforestation. Thus, the non forest land needs to be rechecked and non-forest land suitable for plantation and adjoining to forest blocks needs to be provided. If NFL is not available then to compensate, plantation in double the area in degraded forest land needs to be proposed.	विषयांकित 222.98 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सापेक्ष ललितपुर वन प्रभाग के अन्तर्गत 41.22 हे0 गैर वन भूमि एवं 86.84 हे0 अवनत वन भूमि, तथा सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र के अन्तर्गत 98.00हे0 (सकल क्षे0फ0 125.10हे0) अवनत वन भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित की गयी है। उल्लेखनीय है कि उक्त प्रस्ताव के सापेक्ष, मिर्जापुर वन प्रभाग के अन्तर्गत 182.00 हे0 (सकल क्षे0फ0 190.50 हे0) अवनत वन भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु पूर्व में ही चिन्हित की जा चुकी है, जिससे सम्बन्धित समस्त आवश्यक अभिलेख पूर्व में प्रेषित किये गये थे, जिन्हें भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 26.09.2022 के अनुपालन में उक्त (184.84 हे0 अवनत वन भूमि एवं 41.22 हे0 गैर वनभूमि से सम्बन्धित) क्षति पूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित अभिलेखों के साथ पुनः संलग्न किया गया है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक/अपेक्षित गैर वन भूमि एवं वन भूमि की गणना तालिका, विषय सूची सहित संलग्न है।
2	Since huge tree fellings is involved thus to compensate this, plantation along road side needs to be taken up (either along the same road or along adjoining some other road).	*अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 मेरठ के पत्र दिनांक 3.10.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में लोक निर्माण विभाग के अधीन समस्त मार्गो का RoW, वृक्षारोपण से संतृप्त हो चुका है। मेरठ मण्डल का क्षेत्र NCR घोषित होने के कारण मण्डल के अधिकतर State Highway को National Highway में परिवर्तन कर NHAI, भारत सरकार को हस्तान्तरण विगत 20 वर्षो में हो चुका है, एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्गो के किनारे वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है। विषयगत नहर पटरी का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात लगभग 05 मी0 चौड़ाई में मार्ग के तटबंध के ढाल की भूमि वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध रहेगी।* उक्त के क्रम में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर द्वारा इस आशय का प्रमाण उपलब्ध कराया गया है कि प्रस्तावित मार्ग निर्माण उपरान्त ढाल अत्याधिक होने के कारण प्रस्तावित मार्ग किनारे ढाल पर वृक्षारोपण किया जाना उपयुक्त नहीं है। (अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 मेरठ एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर की आख्या पत्रावली में संलग्न है।)

क्रमशः............2

अतः भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक–26.09.2022 के अनुपालन में आख्या मय संलग्नकों सहित 04 प्रतियों (04 सी0डी0 सहित) में आपकी सेवा में इस अनुरोध के साथ प्रेपित है कि उक्त को नियमुनसार उच्च स्तर को प्रेषित करने की कृपा करें ताकि विषयक प्रस्ताव में अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

पत्रांक– 1291 / 14–1 (FP/UP/ Road/121197/2021) दिनांकित ।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेपित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश मेरठ की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेपित।

प्रतिलिपि वन संरक्षक /क्षेत्रीय निदेशक, मेरठ वृत्त मेरठ की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ, गाजियाबाद, मिर्जापुर, ललितपुर एवं सोनभद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड, मेरठ एवं अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड–1 मुजफ्फरनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर